

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 मार्च 2017 —फाल्गुन 15, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. बी-4-01-2017-2-पांच (02).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा बैंकों एवं व्यापारियों के मध्य पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से भुगतान के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-4-01-2017-2-पांच (02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक, एफ- बी-4-01-2017-2-पांच (02), दिनांक 6 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 6th March 2017

No. B-4-01-2017-2-V(02).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on the agreements executed between Banks and Merchants relating to payments through POS machines.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA Dy. Secy.